Regarding alleged irregularities in Public Distribution System-Laid

श्री देवेश शाक्य (एटा) : मेरे संसदीय क्षेत्र एटा (उत्तर प्रदेश) मे सिंगल स्टेज व्यवस्था में NFSA के अन्तर्गत खाद्यान F.C.I. से ट्रक द्वारा जैसे ही निकलता है, उसके बाद से ही तथाकथित तौर पर परिवहन ठेकेदार/मुनीम और जिलापूर्ति अधिकारी और सप्लाई इन्सपेक्टर का खेल शुरू हो जाता है । नियमानुसार ट्रक डीलर को दुकान तक जाना चाहिये पर ट्रक हर ब्लॉक में हर डीलर की दुकान तक नहीं जाता है । यहीं पर ?राशन माफिया?, ठेकेदार तथा मुनीमों के साथ मिलकर डीलरों से बचत का राशन खरीद लेते हैं । खाली होकर ट्रक डीलर की दुकान की चौहद्दी में भेजा जाता है । हर ब्लॉक का ठेकेदार तथा मुनीम सीधे जिलापूर्ति अधिकारी से सीधे जुड़े हुए हैं । हर महीने जिलापूर्ति अधिकारी को बोरा बजन व अन्य योजनाओं आंगनवाडी, एम०डी०एम० के अंतर्गत यही लोग राशन माफिया के साथ सीधा बचत का हिसाब देते हैं । खर्चा काटकर डी०एस०ओ० और सप्लाई इंस्पेक्टर हर महीने मोटा पैसा कमाते हैं । जो कि डीलर बोरा का बजन मुनीमों/ठेकेदार प्रतिनिधि से मांगता है उसकी शिकायत ये मुनीम लोग डी०एस०ओ० से कर देते हैं । डी०एस०ओ० छापेमारी के नाम पर डीलर की दुकान पर पहुँच जाते हैं और वहाँ से भी डीलर से पैसा वसूली करके लाते हैं । जो सप्लाई इन्सपेक्टर इनके हिसाब से नहीं चलता उसको एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में ट्रान्सफर करते रहते हैं । शहर के हर ब्लॉक के डीलर 5000 रुपये प्रति दुकान के हिसाब से तथा देहात के डीलर 3000 रुपये प्रति दुकान के हिसाब से इकट्ठा करके तथाकथित तौर पर डी०एस०ओ० को देते हैं । जिले में 700 लगभग दुकानें हैं । डी०एस०ओ० अपने कार्यालय के बाबुओं को भी जो डीलर खर्चा दे जाते हैं उसमें हिस्सा मांगते हैं ।

अत: मेरा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री जी ने निवेदन है कि उपरोक्त संबंध मे उचित कार्रवाई करने की कृपा करें ।